

निदेशक,  
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,  
छठी मंजिल "बी" विंग, लोक नायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली

वषय:- आवेदिका सुशीला बाई पति जतन सिंग नि० साई बाबा मंदिर के सामने हवा बंगला भंग रोड, इन्दौर के शिकायत पत्र की जांच बाबत ।  
सन्दर्भ:- आपका पत्र क्र/मिसिल सं० म०प्र०/एसटी-35/0/अत्याचरण /अर०यू०-3/08 दिनांक 25/10/08 ।

NCSY

-00-

Ro Ruit

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । शिकायत पत्र की जांच नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा से कराई गई । आवेदिका के लड़के कालू पिता जतन सोलंकी के विरुद्ध थाना राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 252/08 धारा 302, 460 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध होकर इसे हवा बंगले के पीछे झोपड़ पट्टी इन्दौर से गिरफ्तार किया जाकर इससे एक एचपी कम्पनी का गैस सिलिण्डर एवं एक हलार रूपये जप्त किये गये थे । आवेदिका के लड़के साथ पुलिस द्वारा मारपीट नहीं की गई थी । उक्त प्रकरण में अन्य आरोपी बिनोद पिता कमल सिंह, मुकेश पिता भगवान सिंह, किशन पिता गब्बू एवं पारस को भी गिरफ्तार किया जा चुका है । प्रकरण की तिलेचना पूर्ण कर जिलान न्यायालय पेश किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

218/Gad-109  
29/11/09

प्रतिवेदन सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है ।

सलमन:- मूल शि०पत्र, जांच प्रति० की छायाप्रति ।

DL  
3.1.9  
(गंजूलता खत्री)  
उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)  
हेतु पुलिस अधीक्षक,  
जिला इन्दौर

प्रतिलिपि:-

1- पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेन्ज, इन्दौर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ ।

sd  
हेतु पुलिस अधीक्षक,  
जिला इन्दौर